मध्यप्रदेश शासन
GOVERNMENT OF
MADHYA PRADESH

पर्यटन नीति
2016
Tourism Policy

विहंगम दृश्य – अमरकंटक

पर्यटन नीति
2016

रॉयल बंगाल टाइगर – बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

अनुक्रमणिका

		पृ. क्र.
1.	दृष्टि वक्तव्य	1
2.	सिद्धांत	1
3.	रणनीति	1
4.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	3
5.	पर्यटन परियोजनायें	4
6.	पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान	5
7.	वीक एण्ड टूरिज़्म को बढ़ावा देना	7
8.	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट	7
9.	निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन	8
10.	ईको तथा साहसिक पर्यटन	9
11.	फिल्म टूरिज़्म	10
12.	राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् की स्थापना	11
13.	जल पर्यटन	11
14.	सम्पोषणीय पर्यटन	12
15.	युवाओं के लिये रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण	13
16.	निवेशक सहायता	14
17.	मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास	14
18.	पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं	15
19.	समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास	15
20.	पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	16
21.	निरसन	16
22.	परिशिष्ट–1	17–21
23.	परिशिष्ट–क	23–24
24.	परिशिष्ट–ख	25
25.	परिशिष्ट– ग	27–29
	Tourism Policy (English Version)	31

जंगल सफारी – कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

1. दृष्टि वक्तव्य

''संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके''।

2. सिद्धांत

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यतः निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं :–

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये।

2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम–जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो।

2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि– यह नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/छूट/रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी। तथापि इस नीति के पूर्व स्थापित होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को लाभ/छूट/रियायतें तत्समय प्रचलित नीति के अनुसार प्राप्त होंगी।

3. रणनीति

उपर्युक्त सिद्धांतों तथा पर्यटन दृष्टि–वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी –

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा–बेस तैयार किया जायेगा।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रामाणिक सांख्यिकीय डाटा–बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदनशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के विपणन के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी।

3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक (Land Bank) को निरंतर बढ़ाया जायेगा।

3.14 प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त एवं स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टेंडर्ड (Standard) एवं डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में ''पर्यटन योजना'' को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/रियायतें दी जायेगी।

3.17 MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.18 प्रदेश में होटल/रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/रियायतें उपलब्ध करायी जायेगी।

4. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी :–

4.1 निगम पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

4.2 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौंप सकेगा।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा।

4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोजनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा पर्यटन विकास निगम में एक पृथक प्रभाग ''निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग'' (Investment Promotion and Planning Division) का गठन किया जायेगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत् सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभाग में सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन निगम द्वारा पदस्थापित किये जायेंगें। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा निगम को पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. पर्यटन परियोजनायें

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें/छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जायेगा। परियोजनाओं की परिभाषा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5.1 होटल (स्टार, डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी)
5.2 हेल्थ फार्मस्/रिसोर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्टस्
5.3 रिसोर्ट, केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां
5.4 मोटल एवं वे–साइड एमेनिटीज़
5.5 हेरिटेज होटल
5.6 कन्वेंशन सेन्टर (MICE)
5.7 म्यूज़ियम/एक्वेरियम/थीम पार्कस्
5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम–स्टे इकाई
5.9 गोल्फ कोर्स
5.10 रोप–वे (Ropeway)
5.11 वॉटर पार्क और वॉटर स्पोर्ट्स
5.12 एम्यूज़मेंट पार्क
5.13 केरेवान टूरिज़्म
5.14 क्रूज़ टूरिज़्म
5.15 हाउस बोट
5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना।
5.17 एडवेन्चर स्पोर्ट्स
5.18 साउण्ड एंड लाइट शो/लेज़र शो
5.19 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करें।

6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान

इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :–

क्र.	अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)	अन्य शर्तें
6.1	निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	अनुदान का भुगतान हेरिटेज होटल निर्माण के पश्चात् एक वर्ष तक संचालन करने तथा HRACC (Hotel and Restaurant Approval and Classifications Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत देय होगा।
6.2	पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज सम्पत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	कंडिका 6.1 अनुसार

6.3	डीलक्स/ थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं रिसार्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	किराये पर देने योग्य एयरकंडिशंड कक्षों की न्यूनतम संख्या 50 होना आवश्यक है।
6.4	स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	200 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या 25 होना आवश्यक है।
6.5	नवीन रिसार्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद, योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसोर्ट सहित) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है।
6.6	पूर्व स्थापित स्टार/ डीलक्स/ स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/ रिसोर्ट/ हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान ।	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	अनुदान हेतु पूर्व स्थाापित इकाई में ऐसा विस्तार पात्र होगा जिसमें आवासीय क्षमता पूर्व क्षमता से 50 प्रतिशत या अधिक बढ़ायी गयी हो।
6.7	MICE (meetings, incentives, conference, exhibitions) अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर/कन्वेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	2000 लाख	15 प्रतिशत	1000 लाख	यह आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कन्वेंशन सेंटर हेतु भारत शासन पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/मानकों के अनुरूप की गयी हो। अकेले मुख्य कन्वेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।
6.8	फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/म्यूजियम, एक्वेरियम, थीम पार्क स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	
6.9	एडवेंचर टूरिज़्म, वॉटर टूरिज़्म, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज़/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूज़मेंट पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेज़र शो, कैम्पिंग (टेन्ट सहित) हेतु स्थायी सुविधायें एवं अधोसंरचनाओं की यंत्रोपकरण सहित स्थापना	100 लाख	15 प्रतिशत	300 लाख	स्थाई सुविधा/ अधोसंरचना से आशय, प्लेटफॉर्म/जेट्टी/ उपकरण/पार्किंग साइट/ बिजली सुविधा/जल प्रदाय/ टॉयलेट आदि जन–सुविधाओं से है।

6.10	ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाईजी माडल पर मार्ग सुविधा केन्द्र (डब्ल्यू.एस.ए.) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय रूपये 50 लाख से अधिक हो	50 लाख	15 प्रतिशत	20 लाख	विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता
6.11	पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथा विद्युत प्रदाय, जलप्रदाय एवं सड़क सम्पर्क, सीवेज एवं जल–मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान	100 लाख	25 प्रतिशत	300 लाख	
6.12	दुर्गम पर्यटन स्थलों/वन पर्यटन क्षेत्रों में परिवहन हेतु रोप–वे अधोसंरचना का निर्माण	100 लाख	40 प्रतिशत	500 लाख	

7. वीक एण्ड टूरिज़्म को बढ़ावा देना

प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं वीक एण्ड टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC) को संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट

8.1 निजी भूमि पर हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत्–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू–भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क

देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड–पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि एवं मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध पर दी जाये उन पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन

9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित कर अंतरित की जायेगी।

9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अधिकृत होगा।

9.3 चिन्हित शासकीय भूमियां/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित है एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने अथवा विकास अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगा।

9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 लाख होगा। निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जायेगा।

9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज़ रेंट के रूप में देय होगी।

9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज़ रेंट की राशि, पर्यटन विकास निगम द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप में पृथक मद 'शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास' में रखी जायेगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेगी। इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन इस नीति के परिशिष्ट–1 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

10. ईको तथा साहसिक पर्यटन

10.1 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा निर्धारित ''म.प्र. वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम–2015'' के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं वन विभाग के संबंधित उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएंगे।

10.2 कंडिका 10.1 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं (Potential)/आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। इसमें कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वॉटर राफ्टिंग, रॉक क्लाईम्बिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा–सेलिंग/पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी।

10.3 ईको/साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग भूमि लीज़ पर अथवा लायसेन्स पर दे सकेगा।

10.4 ईको/साहसिक पर्यटन हेतु भूमि लीज पर देने हेतु इस नीति की कंडिका 9 अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.5 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नहीं है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर भी दी जा सकेगी।

10.6 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी। परंतु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उसे भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति (ऐसी शर्तों के साथ, जो वह विभाग निर्धारित करे) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा।

10.7 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिये लायसेंस की अवधि, शर्तें तथा फीस का निर्धारण, इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा। लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10.8 एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा।

10.9 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस देने की प्रक्रिया आदि हेतु पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश तय करेगा।

11. फिल्म टूरिज़्म

11.1 फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर (On Best Effort Basis) संबंधित निर्माता/कम्पनी को दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

11.2 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा।

11.3 मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थाापित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

12. राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद्/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् की स्थापना

12.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद् स्थापित की जायेगी। यह परिषद् माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी। परिषद् का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

12.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक जिला स्तर पर जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् (DTPC) का गठन किया जाएगा। इस परिषद् के कार्यकलाप, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।

13. जल पर्यटन

13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों में पर्यटन सम्भाव्यता के समुचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

13.2 इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जायेगी।

13.3 इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता (Carrying Capacity) को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट, क्रूज़, मोटर बोट एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होगा। जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया, शर्तें एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

13.4 जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।

14. सम्पोषणीय पर्यटन

पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय परम्पराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण हो। इसके लिये पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगा, जिनका समेकित पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। जिन गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव हो उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे। इस हेतु समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार एवं शिक्षा (Information, Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी, जो राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद् के माध्यम से की जा सकेगी।

15. युवाओं के लिये रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण

15.1 युवाओं के लिये रोज़गारोन्मुखी/कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट (SIHM), मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI) के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जायेगा।

15.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत् संचालित कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

15.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटेलिटी, एडवेन्चर टूरिज़्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जायेगा।

15.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) को हॉस्पिटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

15.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी MPIHT द्वारा किया जायेगा।

16. निवेशक सहायता

16.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

16.2 निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन (MPTRIFAC) के सहयोग से कार्य किया जायेगा।

16.3 जिला स्तर पर निवेश संवर्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वय, निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु जिला स्तर पर प्रदाय की जाने वाली अनुमतियों/पंजीयन/अनापत्ति/लायसेन्स आदि के फेसिलिटेशन हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जो ''एमपी इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट 2008'' के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय साधिकार समिति के सचिव हैं, को नोडल एजेंसी नामांकित किया जायेगा।

16.4 महाप्रबंधक द्वारा पर्यटन संबंधी निवेश प्रस्ताव कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति के माध्यम से निराकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को इस हेतु आवश्यक सहयोग पर्यटन विभाग/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17. मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास

प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 कि.मी. की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटन विभाग द्वारा जारी ''मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति–2016'' के अनुसार किया जायेगा।

18. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं

नीति की कंडिका 5 में वर्णित परियोजनाओं को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जायेगी :–

18.1 पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर विद्युत प्रदाय करने का प्रयास किया जायेगा।

18.2 प्रदेश में वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों/इंडस्ट्रीयल सिटी/आई.टी. पार्कस् में एमेनिटीज़ हेतु आरक्षित भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप में आवंटित की जायेगी।

18.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जायेगा।

18.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी।

18.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा।

19. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास

19.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिये राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनायी जायेगी।

19.2 नये पर्यटन उत्पाद विकसित करने में गैर–सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन, प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जायेगा।

19.4 निजी क्षेत्र के सफल पर्यटन उद्यमियों की विशेषज्ञता एवं श्रेष्ठता का लाभ उठाया जायेगा एवं ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.5 निजी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से सम्बद्ध करते हुये गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों को हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

19.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्व नियत प्रवास पैकेज (Fixed Tours) विकसित किये जायेंगे एवं विपणन किया जायेगा।

19.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लॉन बनाकर किया जायेगा।

19.9 नई पीढ़ी में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये शालाओं एवं महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जायेगी तथा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.10 पर्यटन क्षेत्र में निवेश इच्छुक उद्यमियों को परियोजना स्थापना के लिये पूर्ण मदद हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जायेगी।

19.11 पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों में ''मध्य प्रदेश पर्यटन पुरस्कार'' प्रदान किये जायेंगे।

20. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन

पर्यटन नीति–2016 के अंतर्गत वांछित सुविधाएं/रियायतें/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश/अधिसूचनाएं/नियम जारी करेंगे। इस संबंध में मत–भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/व्याख्या/विवाद–निराकरण के प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा –

- प्रमुख सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव, वन
- प्रमुख सचिव, संस्कृति
- प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

इसके सदस्य सचिव होंगे।

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी। यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा। यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी।

21. निरसन

21.1 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से ''पर्यटन नीति–2010 (यथा संशोधित–2014)'' निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र इकाईयां पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगीं।

21.2 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से ''मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास हेतु, पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निवर्तन की नीति–2008 (यथा संशोधित–2014)'' निरसित मान्य की जायेगी।

परिशिष्ट–1

पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निवर्तन की प्रक्रिया

पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति व पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन विभाग को आवंटित नजूल, बाह्य नजूल अथवा ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों/हैरिटेज परिसंपत्तियों का नीलामी द्वारा निवर्तन निम्नानुसार प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति व पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित कर अन्तरित की जाएगी।

   1.1 तद्नुसार अंतरित एवं आवंटित भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु, पर्यटन विभाग का उपक्रम मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि. (जिसे आगे निगम कहा जावेगा), प्रोसेस मैनेजर होगा। प्रोसेस मैनेजर के रूप में निगम द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक सलाहकारों का चयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R.) तैयार करना, अभिरूचियाँ आमंत्रित करना (E.O.I.), पारदर्शी रूप से नीलामी प्रक्रिया संचालित करना आदि शामिल होगा। प्रोसेस मैनेजर (निगम) द्वारा निवर्तन हेतु आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेज (RFP) एवं शर्तें अथवा अभिरूचि अभिव्यक्ति (E.O.I.) के दस्तावेज भी तैयार करवाए जावेंगे। निगम द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन निम्नानुसार किया जाएगाः–

      1.1.1 निगम को पर्यटन विभाग को अंतरित भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की पहचान, चिन्हांकन एवं उसके संबंध में निर्धारित दस्तावेजों को तैयार करने के लिये अधिकृत किया जाता है। निगम इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिये आवश्यकतानुसार जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर से प्राप्त करेगा।

      1.1.2 निगम द्वारा अन्तरित भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज होने की पुष्टि उपरान्त, इस भूमि के चिन्हांकन, भू–उपयोग, रकबा, कब्जा पत्रक आदि बाबत् जानकारी तैयार कर वांछित प्रतिवेदन (परिशिष्ट –क) पर्यटन विभाग को भूमि के निवर्तन हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रेषित किया जायेगा।

      1.1.3 आवश्यकता होने पर व्यावसायिक सलाहकार का चयन निगम द्वारा किया जावेगा तथा इसके उपरान्त व्यावसायिक सलाहकार के माध्यम से प्रश्नाधीन अन्तरित भूमि पर पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि हेतु आवश्यकता अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R.), निविदा दस्तावेज एवं शर्तें अथवा अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) संबंधी दस्तावेज तैयार करवाया जायेगा।

      1.1.4 निगम उपरोक्तानुसार तैयार किए दस्तावेजों में, जहां आवश्यक हो, यह भी अनुशंसित कर सकेगा, कि सफल निविदाकर्ता को आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि

से एक वर्ष के भीतर कौन–कौन से कार्य भौतिक तौर पर संपादित करना अनिवार्य रहेगा। परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियां, अनापत्ति आदि निवेशक को प्राप्त करना होगा।

1.2 आरक्षित मूल्य, प्रीमियम एवं भू–भाटक :–

1.2.1 नगरीय निकायों (नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी।

1.2.2 हैरिटेज महत्व के भवनों के निवर्तन के लिए भवन एवं आनुषांगिक भूमि का कुल आरक्षित मूल्य रूपये एक लाख रखा जावेगा। निवर्तन के लिए हैरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन पर्यटन नीति अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जावेगा।

1.2.3 उपरोक्त कंडिका 1.2.1 में उल्लेखित भूमियों को छोड़कर शेष अन्य स्थलों पर भूमि के आरक्षित मूल्य की गणना रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से की जायेगी।

1.2.4 मार्ग सुविधा केंद्रों की भूमि एवं भवन का निवर्तन ''मार्ग सुविधा केंद्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति–2016'' अनुसार किया जावेगा।

1.2.5 उक्त भूमि का भू–भाटक (Lease Rent) भूमि आवंटन हेतु स्वीकार किये गए प्रीमियम का एक प्रतिशत वार्षिक होगा।

1.2.6 भूमि पर भू–भाटक, पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख के बाद आने वाले मार्च महीने की 31 तारीख तक प्रथम वार्षिक लीज रेंट के रूप में लिया जायेगा, उसके पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल की 1 तारीख से पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा।

2. पर्यटन विभाग से उक्त भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन की अनुमति प्राप्त कर, निगम के प्रबंध संचालक, अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (Expression of Interest)/निविदा आमंत्रण का विज्ञापन प्रसारित करेंगे। अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण/निविदा आमंत्रण सूचना में प्रस्ताव जमा करने के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय दिया जावेगा। यह कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगीः–

2.1 निविदा आमंत्रण/अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण–भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति नीलामी द्वारा निवर्तन की सूचना का प्रकाशन निगम द्वारा आवश्यकतानुसार देश/प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों में किया जाएगा। व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सूचना का प्रकाशन दोहराया भी जा सकेगा। अन्य विश्वसनीय तरीके से इस तथ्य का व्यापक प्रचार–प्रसार निगम द्वारा कराया जाएगा कि भूमि की बिक्री नीलामी द्वारा की जानी है। सूचना का प्रकाशन निगम/विभाग की बेवसाईट पर भी किया जाएगा।

निविदा की सूचना का प्रारूप ''परिशिष्ट–ख'' में संलग्न है। इस प्रारूप में परियोजना के अनुसार आवश्यक संशोधन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा सकेगा।

2.2. प्राप्त निविदाओं का परीक्षण

2.2.1 अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) अथवा निविदा आमंत्रण के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण निम्नानुसार गठित परीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा :–

(i) संचालक, पर्यटन संवर्धन इकाई
(ii) महाप्रबंधक (वित्त)
(iii) निगम के चार्टर्ड अकांउटेंट
(iv) व्यावसायिक सलाहकार (यदि कोई हो, तो)

2.2.2 तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय निविदा के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :–

(i) प्रबंध संचालक (अथवा प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित अपर प्रबंध संचालक/कार्यपालिक निदेशक) पर्यटन निगम – अध्यक्ष
(ii) लेखा अधिकारी आयुक्त पर्यटन कार्यालय – सदस्य
(iii) निगम के चार्टर्ड अकांउटेंट – सदस्य
(iv) व्यावसायिक सलाहकार (यदि कोई हो तो) – सदस्य
(v) संचालक, पर्यटन संवर्धन इकाई – सदस्य सचिव

2.3. अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु उक्त समिति द्वारा इस परियोजना विशेष हेतु नियुक्त व्यावसायिक सलाहकार का अभिमत प्राप्त कर Pre-condition/Eligibility Criterion के मापदण्ड निर्धारित करेगी। इन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन समिति (E.O.I.) के तहत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त पात्र इच्छुक आवेदकों के मध्य निर्धारित निविदा शर्तों एवं प्रावधानों के तहत वित्तीय प्रस्ताव बुलाए जाने की कार्यवाही करेगी। इस परीक्षण के तहत पात्र पाए गए इच्छुक आवेदकों को Request for Proposal दस्तावेज प्रेषित किया जाकर, इन पात्र आवेदकों के मध्य

सीमित प्रतिस्पर्धा के तहत निर्धारित निविदा शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकेंगे।

2.4. (E.O.I.) अथवा सीधे निविदा आमंत्रण से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों का आवश्यक परीक्षण उक्त ''मूल्यांकन समिति'' करेगी तथा उपरोक्त वित्तीय प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित प्रशासकीय विभाग को परिशिष्ट–ग में अपना प्रतिवेदन निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

2.5 ''मूल्यांकन समिति'' के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिन के भीतर प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर पर्यटन निगम को सूचित करेगी अन्यथा उच्चतम प्रस्तावदाता को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि वापस लेते हुए निविदा से बाहर हो जाए।

2.6 प्रथम उच्चतम के अलावा शेष प्रस्तावदाताओं की धरोहर राशि निगम द्वारा भेजे गये वित्तीय प्रस्ताव पर राज्य सरकार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के तत्काल बाद वापस कर दी जायेगी।

2.7 राज्य शासन से निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर निगम सफल निविदाकार को इस स्वीकृति की सूचना देगा। उक्त सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर (धरोहर राशि समायोजन पश्चात्) शेष राशि उच्चतम् प्रस्तावदाता को जमा करना आवश्यक होगा। 90 दिन के भीतर राशि न जमा कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से न्याय हित में अधिकतम 3 माह का समय और दिया जावेगा।

2.8 यदि निर्धारित समयावधि में उच्चतम् प्रस्तावदाता द्वारा शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो युक्ति–युक्त कारण के साथ राशि जमा करने हेतु एक अवसर विशेष अनुमति स्वरूप एक माह का अंतिम समय दिया जायेगा। यदि उक्त समय में भी शेष राशि जमा नहीं की जाती तो धरोहर राशि राजसात करते हुए आवंटन कार्यवाही निरस्त कर दी जाएगी और भूमि की पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में ऐसा निविदाकार पुनः नीलामी में व्यक्तिगत, भागीदारी या कंर्सोशियम के सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकेगा।

2.9 चिन्हित शासकीय भूमियां/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित हैं एवं/ जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90/30 वर्ष की लीज पर देने अथवा विकास अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

2.10 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि एवं वार्षिक (प्रीमियम) लीज रेंट की राशि, भूमियों के निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास हेतु निगम द्वारा पृथक मद ''शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास'' में रखी जायेगी। यह राशि, भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेगी।

2.11 सफल निविदाकर्ताओं से परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के समकक्ष परफार्मेन्स बैंक गारंटी प्राप्त की जायेगी, जोकि परियोजना के सफल संचालन के 3 वर्ष पश्चात् लौटाई जायेगी।

2.12 समस्त राशियां प्राप्ति उपरांत पर्यटन विभाग द्वारा उच्चतम् प्रस्तावदाता के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा, जिसे प्रस्तावदाता स्वयं के व्यय पर भारतीय मुद्रांक

अधिनियम के प्रावधानानुसार 90 दिन के भीतर पंजीकृत करवाएगा। पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किए जाने पर भूमि का कब्जा निगम द्वारा सफल निविदाकर्ता को सौंपा जाएगा।

2.13 राज्य सरकार को किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। इस संबंध में राज्य सरकार का अंतिम निर्णय प्रस्तावदाताओं को मान्य होगा।

2.14 निगम द्वारा निविदा दस्तावेज/E.O.I. आदि में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना पूर्ण करने की अवधि क्या होगी। आधिपत्य प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थल पर सफल प्रस्तावकर्ता द्वारा आवश्यक अनुमतियां/अनापत्तियां आदि प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। परियोजना समयावधि में पूर्ण न होने की दशा में युक्ति–युक्त कारण एवं प्रभावी कदमों के आधार पर प्रस्तावकर्ता द्वारा आवेदन देने पर दो बार एक–एक वर्ष की अवधि के लिये समय–सीमा बढ़ायी जा सकेगी। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न होने की दशा में परफार्मेन्स बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी तथा पट्टा निरस्त किया जा सकेगा और समस्त जमा राशियॉ राजसात हो जावेगी।

2.15 पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

2.16 निविदा धरोहर राशि (बिड सिक्योरिटी) सामान्यतः आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के समकक्ष किन्तु अधिकतम रूपये 20.00 लाख तक होगी। विशेष मामलों में यह धरोहर राशि तय करने हेतु प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे।

2.17 पट्टा विलेख में संशोधन हेतु प्रचलित पर्यटन नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

महेश्वर किला

परिशिष्ट–क

प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल का प्रस्ताव

(संदर्भ कंडिका 1.1.2)

क्रमांक..... दिनांक.....

1. पर्यटन विभाग को प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में, उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटन विकास के लिए खसरा नम्बर/नजूल शीट नम्बर..... रकबा..... तहसील.....जिला .....पर प्रतिस्थापित होने वाली भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित की गई है। कलेक्टर जिला .....के द्वारा इस भूमि का अन्तरण पर्यटन विभाग को किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रोसेस मैनेजर नियुक्त किया गया है, तद्नुसार निगम द्वारा निवर्तन संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया/सम्पन्न करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन हेतु यह प्रस्ताव प्रेषित है।

2. समस्त अभिलेखों के परीक्षण एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर पर्यटन विभाग को आवंटित निम्नानुसार भूमियों के/ हैरिटेज परिसंपत्तियों के चक (ब्लॉक) को निजी निवेश के माध्यम से नीलामी द्वारा निवर्तन के लिये उपयुक्त पाया गया–

स.क्र.	राजस्व ग्राम जहां भूमि का चक स्थित है।	इस चक में शामिल खसरा नं. एवं रकबा	क्षेत्रफल एवं नोईयत (खसरा पांच साला, P-II form के कॉलम नम्बर 2 की प्रविष्टि) (खसरा नम्बर वार)	भूमि के चक की चतुर सीमा / एवं उस पर स्थित हैरिटेज परिसंपत्ति का ब्यौरा	कब्जेदार/भूमि स्वामी का नाम एवं विवरण (खसरा पांच साला, P-II form के कॉलम नम्बर 3 की प्रविष्टि)	कैफियत विवरण (कॉलम नं. 12 की प्रविष्टि)	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की वर्तमान में मौके की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

3. उपरोक्त बिन्दु 2 में उल्लेखित भूमियों के चक का/ हैरिटेज परिसंपत्ति का प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटन विकास हेतु, नीलामी से निवर्तन बाबत् उपयुक्तता के संबंध में विश्लेषणात्मक टीप निम्नानुसार हैः–

3.1	प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित किस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, किस प्रकार की पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि प्रश्नाधीन भूमि पर संचालित की जाना प्रस्तावित हैः–	
3.2	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के चक में आने वाले खसरा नं. का नगर विकास योजना में चिन्हांकित भू–उपयोग..... (यदि हो तो)	
3.3	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति पट्टा विलेख की अवधि	
3.4	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य	
3.5	भूमि पर वसूल योग्य वार्षिक भू–भाटक/भू–राजस्व	
3.6	सीमांकन, स्टेशन सर्वे उपरान्त, मौके पर भूमि की चतुर सीमाओं का चिन्हितिकरण किया गया है या नहीं।	
3.7	भूमि की/हैरिटेज परिसंपत्ति की लोकेशन, क्षेत्रफल एवं महत्व को देखते हुए, इसके आवंटन हेतु निविदा में भाग लेने वाले आवेदकों/निविदाकारों की प्रस्तावित नेटवर्थ रूपये में (प्रति हेक्टेयर रूपये एक करोड़ अधिकतम के मान से)	
3.8	निविदा दस्तावेज एवं निविदा शर्तों का प्रारूप संलग्न है अथवा नहीं	
3.9	निविदा आमंत्रण (NIT) सूचना का प्रारूप संलग्न है अथवा नहीं	
3.10	संलग्न निविदा दस्तावेज की तकनीकी निविदा में उल्लेखित प्रमुख प्रावधानों एवं प्रमुख निविदा शर्तों का विवरण संलग्न है या नहीं	
3.11	अन्य सुसंगत दस्तांवेज यदि कोई हो तो उनका उल्लेख	

4. उक्त भूमियों के परीक्षण के दौरान नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भू–उपयोग संबंधी जानकारी, विस्तृत सीमांकन प्रतिवेदन, भूमि का स्पष्ट नजरी नक्शा (लोकेशन प्लान) खसरा नकल एवं नक्शा, अक्स एवं अन्य अभिलेख/सहपत्र (अगर कोई हो तो) संलग्न है।

5. अत: उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 2 की तालिका में उल्लेखित भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति सभी विवादों से मुक्त होकर पर्यटन विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियाँ/परिसंपत्तियां है। इन भूमियों/परिसंपत्तियों का पर्यटन संबंधी गतिविधियों के तहत नीलामी से निवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

भोपाल–

दिनांक–

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमि., भोपाल

परिशिष्ट–ख

कार्यालय प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लि. भोपाल

(देखे कंडिका 2.1)

भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु निविदा की सूचना

म.प्र. शासन की नीति अनुसार नीचे दर्शाए गए विवरण अनुसार पर्यटन विभाग के स्वामित्व की भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति से नीलाम किया जाना है:–

1. जिला .....

2. तहसील.....

3. पटवारी हल्का नं.....

4. वार्ड क्रमांक (नगरीय क्षेत्र में).....

5. स्थल.....

भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति का विवरण

स.क्र.	खसरा क्रमांक/नजूल शीट क्रमांक एवं भूमि क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर)/ एवं निर्मित/हैरिटेज परिसंपत्तियां	प्रयोजन	लीज की अवधि	आरक्षित मूल्य	वार्षिक लीज रेंट
1	2	3	4	5	6	7

8. निविदा शुल्क .....

9. धरोहर राशि .....

निविदा संबंधी विवरण शर्तें प्रक्रिया आदि वेबसाइट ..... से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
भोपाल

भोजपुर, भोपाल

परिशिष्ट– ग

निविदा दस्तावेजों का परीक्षण एवं वित्तीय निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन

(संदर्भ कंडिका 2.2.2 एवं 2.4)

1. पर्यटन विभाग के स्वामित्व की भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति जो जिला ..... तहसील ..... ग्राम..... के खसरा नम्बर/नजूल शीट क्रमांक ..... एवं रकवा ..... पर प्रतिस्थापित है, पर पर्यटन विकास संबंधी ..... गतिविधियों हेतु तैयार की गई परियोजना के तहत, नीलामी से निवर्तन की अनुमति मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त हुई हैं। तद्नुसार निर्धारित पर्यटन संबंधी गतिविधि हेतु उक्त भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की नीलामी के लिए परियोजना का उल्लेख करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) दिनांक..... को पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, समाचार पत्रों ..... में प्रकाशित की गई। (अगर E.O.I. के तहत् पात्र इच्छुक आवेदकों के मध्य सीमित प्रतिस्पर्धा के तहत् R.F.P. दस्तावेज दिए जाकर, निविदाएँ प्राप्त की गई हों, तो तद्नुसार इस पैरा एवं अगले पैरा में आवश्यक संशोधन किए जावें। इसमें, E.O.I. के तहत् प्राप्त प्रस्तावों का, किन मापदण्डों के तहत् पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया गया है, उसका विस्तृत विवरण दिया जावे।)

2. नीलामी सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं राज्यस्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में कराया गया। साथ ही निगम की वेबसाईट..... पर अपलोड किया गया तथा निविदा दस्तावेज वेबसाईट..... पर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। निविदा प्राप्ति के लिए 30 दिवस के पश्चात् की तारीख नियत की गई

3. (क) निविदा की प्राप्ति के लिए नियत की गई तारीख ..... को ..... बजे तक निम्नलिखित निविदाकारों की निविदायें प्राप्ति हुईं :–

1.....

2.....

3.....

(ख) उपरोक्त निविदाओं की तकनीकी पात्रता परीक्षण हेतु दिनांक ..... को ..... के कार्यालय में आयोजित परीक्षण समिति की बैठक में उपस्थित निविदाकरों के समक्ष धरोहर राशि एवं पात्रता संबंधी शर्त का परीक्षण किया गया। इस समिति की बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुएः–

1.....

2.....

3.....

प्रत्येक निविदाकार द्वारा प्रस्तुत पात्रता संबंधी जानकारी एवं धरोहर राशि का कॉलमवार तुलनात्मक पत्रक, समिति द्वारा प्रमाणित इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं। इस तुलनात्मक पत्रक के आधार पर निम्न निविदाकार तकनीकी पात्रता संबंधी शर्तों के तहत पात्र पाये गयेः–

1.....

2.....

3.....

इसी प्रकार निविदा के तकनीकी पात्रता के परीक्षण के तहत अपात्र पाये गये निविदाकरों की जानकारीमय अपात्रता के कारण सहित निम्नानुसार संलग्न हैः–

स.क्र.	अपात्र पाये गये निविदाकारों का नाम एवं विवरण	अपात्रता का कारण
1	2	3

(ग) उक्त कंडिका ख में निविदाओं की तकनीकी पात्रता के परीक्षण उपरान्त पात्र पाये गये निविदाकारों का वित्तीय प्रस्ताव दिनांक ..... को, ... के कार्यालय में मूल्यांकन समिति के निम्नलिखित सदस्यों के समक्ष खोला गया। इस समय निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

1.....

2.....

3.....

कंडिका ''ख'' के तहत पात्र निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने उपरान्त निम्नानुसार ऑफर मूल्य प्राप्त हुआः–

सरल क्रमांक	निविदाकार का नाम एवं विवरण	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के लिये आरक्षित किया गया मूल्य (अपसेट प्राईज)	निविदाकार द्वारा ऑफर किया गया मूल्य	रिमार्क
1	2	3	4	5

4. उक्त कंडिका 3 ''ख'' में अपात्र पाये गये निविदाकारों का वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला गया। पात्र निविदाकारों के उपरोक्त वित्तीय ऑफर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निविदाकार ..... (नाम एवं विवरण) के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति, जो खसरा नम्बर/नजूल शीट क्रमांक एवं भूमि क्रमांक ..... कुल रकबा ..... पर प्रतिस्थापित होकर राजस्व ग्राम..... पर स्थित है, पर निर्धारित पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि करने हेतु भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति का अधिकतम ऑफर मूल्य/ ..... रूपये ..... दिया है। अतः मूल्यांकन समिति सर्वसम्मति से अधिकतम ऑफर मूल्य के निविदाकार ..... (नाम एवं विवरण) के पक्ष में यह निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। (अस्वीकृति के आधार स्पष्ट कर दें)

हस्ताक्षर प्रबंध संचालक अथवा नामांकित प्रतिनिधि म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	हस्ताक्षर लेखा अधिकारी, आयुक्त पर्यटन कार्यालय	हस्ताक्षर व्यावसायिक सलाहकार
हस्ताक्षर महाप्रबंधक (वित्त)	निगम के चार्टर्ड अकांउटेंट	संचालक (पर्यटन संवर्धन इकाई)

Tourism Policy
—2016—

Jahaj Mahal - Mandu

Index

		Page
1.	Vision Statement	35
2.	Guiding Principles	35
3.	Strategy	35
4.	Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Ltd.	37
5.	Tourism Projects	38
6.	Subsidy for Tourism Projects	39
7.	To Promote Week-end Tourism	42
8.	Exemption from Registration and Stamp Duty Fees	42
9.	Allotment of land/heritage assets for establishing Tourism Projects through private investment	42
10.	Eco and Adventure Tourism	44
11.	Film Tourism	45
12.	Constitution of State/ District Tourism Promotion Council	46
13.	Water Tourism	47
14.	Sustainable Tourism	47
15	Employment oriented Skill Development, Education and Training for Youth	48
16.	Investor Facilitation	49
17.	Development of Way Side Amenities	50
18.	Facilities to Tourism Sector similar to Industries	50
19.	Special Efforts for Comprehensive Tourism Development	50
20.	Implementation of Tourism Policy	51
21.	Repeal	52
22.	Annexure - 1	53

Sunset - Upper Lake, Bhopal

1. Vision Statement

To promote such balanced and sustainable tourism which enables socio-economic development and establishes Madhya Pradesh as a destination that provides a complete tourism experience.

2. Guiding Principles

The tourism policy is based on the following guiding principles:

2.1 Set up such institutional mechanism which will promote private investment as directed by the State Government.

2.2 Set up an effective regulatory mechanism for sustainable tourism.

2.3 Undertake measures to provide reception, assistance, information, amenities and ensure hygiene, security and infrastructure for the tourists.

2.4 Conservation of heritage and making them places of tourist attraction.

2.5 Eco-tourism to be the tool to sensitize masses about environmental conservation.

2.6 Establish active and coordinated participation of Government departments, voluntary organizations, the local community and other stakeholders of tourism sector.

2.7 Appropriate development of tourism based projects through Public Private Partnership (PPP).

2.8 Validity period of Policy:- This policy shall remain in force for five years from the date of its issuance and projects started/established/expanded operationally during such period shall qualify for benefits/exemption/concessions under the provision of this Policy. However, tourism projects established/expanded before the issuance of this policy shall be dealt with as per provisions of the then prevailing policy.

3. Strategy

The strategy to translate the vision statement and guiding principles in reality will be as under:

3.1 Clear, transparent guidelines and standard procedures will be laid down to attract private investment.

3.2 Relevant research and preparation of necessary database will be undertaken for destination marketing.

3.3 An appropriate system will be developed for preparation of authentic statistical database and for obtaining tourist feedback for systemic reforms.

3.4 Continuous improvement and maintenance of basic infrastructure such as roads, drinking water, power, hygiene, transport, and solid waste management will be ensured.

3.5 Active participation of local bodies will be ensured by sensitizing them towards tourism.

3.6 To promote and market fairs, local cuisine, costumes, products, art, handicraft and local heritage, rural tourism will be encouraged.

3.7 Highest priority will be accorded to conservation and preservation of natural resources and beauty at eco-tourism destinations.

3.8 A comprehensive plan will be prepared for development of identified destinations of spiritual tourism.

3.9 Planned development of tourism facilities near major water bodies will be ensured.

3.10 To promote tourism, effective measures will be taken up for road (bus service) and air connectivity between cities with the active participation of the private sector.

3.11 By simplification of procedures and with the help of local administration necessary steps will be undertaken to promote adventure tourism.

3.12 To promote tourist friendly image of the state, all personnel directly and indirectly engaged in the tourism sector will be trained. Trainings will also ensure generation of employment opportunities for the youth.

3.13 To encourage establishment of tourism projects through private investment, land bank will be strengthened continuously, identifying suitable locations.

3.14 To provide quality accomodation to tourist in the state, establishment of standard and deluxe class hotels with private investment will be encouraged.

3.15 Efforts to include Tourism within the action plan of other relevant departments of the State will be made.

3.16 To encourage establishment of heritage hotels with private investment, subsidies/concessions will be offered.

3.17 To encourage MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Tourism in the State, establishment of convention centers with private investment will be promoted.

3.18 Subsidies/Concessions will be made available to augment the establishment of various tourism projects including hotels and resorts in the State.

4. Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Ltd.

The role of MP State Tourism Development Corporation Ltd. for implementation of tourism policy at the ground level is important. The role of the Corporation will be as under:

4.1 While providing tourism services, the Corporation shall play a crucial role in establishment, expansion and marketing of tourism services with private investment.

4.2 As per the need, the corporation will be allowed to hand over its units to private sector for operation under management agreement or on a long-term lease.

4.3 To resolve issues related to tourism promotion, management and operations, effective steps shall be taken up in co-ordination with stakeholders of tourism industry.

4.4 Tourism projects shall be established and appropriate support to investors to invest in new undeveloped areas with tourism potential shall be streamlined.

4.5 As and when required Corporation can expand its units and develop new areas of tourism through profits realized.

4.6 Institutions such as Madhya Pradesh Institute of Hospitality and Training, Food Craft Institute, State Institute of Hospitality and Catering Technology which provide higher education and skill development trainings in hospitality, food craft and tourism management, shall be expanded and strengthened.

4.7 Corporation shall play pivotal role in obtaining loan and grants from State Government, Central Government and Financial Institutions for tourism projects.

4.8 For attracting investments through Private Sector, investor facilitation, providing subsidies and facilities to investors under the policy and for planning implementing and monitoring tourism projects, the department shall constitute a separate division "Investment Promotion and Planning division" within the Corporation. A proper set-up for this division shall be devised by the department. Appropriate human resources shall be placed by the Corporation adhering to this set-up. For the effective operation of this division, government shall provide requisite financial resources to the corporation separately.

5. Tourism Projects

Under this Policy following activities shall be treated as Tourism Projects to avail various facilities/subsidies. Definition of Tourism Projects shall be determined as per the notification of Government of India from time to time or shall be determined by the Tourism Department, Government of Madhya Pradesh:

5.1 Hotel (Star, Deluxe and Standard Class)
5.2 Health Farm/Resort/Health and Wellness Resort
5.3 Resort, Camping Site and Fixed tenting units
5.4 Motel and Wayside Amenities
5.5 Heritage Hotel
5.6 Convention Centre (MICE)
5.7 Museum / Aquarium / Theme Parks
5.8 Bed and Breakfast/Home Stay Units
5.9 Golf Course
5.10 Rope way
5.11 Water Park and Water Sports
5.12 Amusement Park
5.13 Caravan Tourism
5.14 Cruise Tourism
5.15 House Boat
5.16 Film studio and development of infrastructure and installation of equipment for film making.
5.17 Adventure Sports
5.18 Sound and light show / Laser show
5.19 Other activities related to tourism as notified by Tourism Department of Central / State Government, from time to time.

Bandhavgarh

6. Subsidy for Tourism Projects

Tourism Projects established and operationalised during the operative tenure of this policy shall be entitled to capital investment subsidy. Considering to the type of activity and the capital investment, capital subsidy shall be granted as mentioned below:

Sl. No.	Subsidy Scheme	Minimum Project Expenditure (Rs. in Lac)	Percentage of Subsidy against Fixed Capital Investment	Maximum ceiling of Subsidy (Rs. in lac)	Other conditions
6.1	Capital subsidy for Heritage Hotel under Proprietorship	300	15%	200	Subsidy shall be payable after the operation of constructed Heritage Hotel for one year, subject to submission of certificate obtained from HRACC (Hotel and Restaurant Approval and Classifications Committee) as a Heritage Hotel.

6.2	Capital Investment subsidy for establishment of Heritage Hotel where the Heritage Assets are obtained from Tourism Department on Lease	1000	15%	500	As per Clause 6.1
6.3	Capital Investment subsidy to establish a new Deluxe/Three Star or Higher category new Hotel and Resort	1000	15%	500	Minimum 50 rentable air-conditioned rooms should be available.
6.4	Capital Investment subsidy for establishment of new Hotel of Standard category	200	15%	50	Minimum 25 rentable air-conditioned rooms should be available.
6.5	Capital Investment subsidy for establishment of new Resort and Wellness Centre (Including Resort equipped with Ayurvedic, Yoga and Naturopathic treatment)	500	15%	200	Unit should be established as per the definition, criterion and standards defined by the Government of India/ State Government.
6.6	Capital Investment Subsidy for expansion of established Star/Delux/Standard Hotel/ Resort/Heritage Hotel	100	15%	500	Expansion in terms of minimum 50% increased in staying capacity will only be eligible for subsidy
6.7	Capital Investment Subsidy for establishment of 500 or more seater convention centre as above cum Hotel under MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)	2000	15%	1000	Project must be established in such a way as to conform to the criteria/standards laid down by Government of India for convention centre. Seating capacity of main convention hall taken alone should be 500 or more.

6.8	Capital Investment Subsidy for creation of infrastructure along with installation of equipment to establish Film Studio, Film making, Museum, Aquarium, Theme Park	300	15%	500	
6.9	Capital Investment subsidy for creation of infrastructure and installation of permanent facility/ acquisition of equipment/facilities to establish Adventure Tourism, Water Tourism, Water Sports, Cruise/House boat, Navigation infrastructure, Amusement Park, Sound and Light show, Laser show, Camping (including tents)	100	15%	300	Installation of permanent facility/ infrastructure shall mean creating/ installing platform/ Jetty/ equipments, parking sites/ electricity facility/ water supply etc. and public amenities.
6.10	Capital Investment subsidy for establishment of wayside Amenities under Green Field/ Franchise Model	50	15%	20	Units established and operated as per Departments way side Amenities Policy 2016 only will be eligible.
6.11	Capital Investment subsidy for creation of infrastructure such as power supply, water supply, approach road, sewage and drainage system on land and heritage assets obtained from Tourism Department on lease basis.	100	25%	300	
6.12	Installation of Ropeway infrastructure for transport in inaccessible tourist places/ forest areas.	100	40%	500	

7. To Promote Week-end Tourism

To attract domestic tourists from other states and to encourage weekend tourism, resources will be given to District Tourism Promotion Councils for enhancing and upgrading the tourist facilities as per the expectations of tourists.

8. Exemption from Registration and Stamp Duty Fees

8.1 All new heritage hotel projects shall be exempted from paying Registration Fee and Stamp Duty for the built-up area and one hectare of appurtenant land. If the adjacent land is more than 1 hectare, then in such a case the registration and stamp duty shall be payable as per rules on the land over and above 1 hectare the registration & stamp duty exemption shall be in the form of reimbursement by the Department of Tourism after the commencement of the project.

8.2 Registration and stamp duty shall not be payable on Government land (land parcel, land ancillary to heritage property, land of way side amenity) given on lease/development agreement for Tourism Project.

9. Allotment of land/heritage assets for establishing Tourism Projects through private investment

9.1 To fulfil the objectives of tourism promotion and establishment of Tourism Projects through private investment, government land / heritage properties shall transferred free of cost to Tourism Department.

9.2 For disposal of such land / heritage properties transferred to the Tourism Depatement, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall be authorized on behalf of the Tourism Department.

9.3 The decision on whether the identified Government land / land on which assets are erected and are transferred or would be transferred to Tourism Department would be leased out for 90 / 30 years or will be developed through development agreement shall be finally taken by the Tourism Department.

9.4 Reserve price for disposing such land situated within area limit of municipal bodies or plan area shall be Rs.10 lac per hectare and Rs.5 lac per hectare for any other area as mentioned above.

9.5 The reserve price for bidding of buildings and appurtenant land shall be Rs.1 lac. Identification and selection of such heritage building and appurtenant land for disposal shall be made by the Empowered Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary constituted under this Policy.

9.6 Disposal of land and heritage assets shall be made through an open bidding process under the policy. Highest bid proposal over the reserve price shall be selected for allotment.

9.7 Accepted highest bid value amount as above shall be payable in lump sum as premium. In addition to this an amount equal to 1% of this premium amount shall be payable annually as a lease rent.

9.8 Bid amount received against leased land and annual lease rent shall be kept with MP State Tourism Development Corporation as an amount received from the Government under a separate head "Disposal of Government Land and Infrastructure Development". Corporation can spend this money on survey of land, transfer, tendering process, power-road-water supply, area planning, area development, security of assets and other essential infrastructure development as per the guidelines issued by the Tourism Department.

9.9 Disposal of Government land/lands with heritage assets transferred to Tourism Department, to private investor for establishment of tourism projects, shall be made by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation in accordance with the procedure laid down in Annexure-1 of the Policy.

10. Eco and Adventure Tourism

10.1 Tourism activities shall be carried out in the notified areas under "Madhya Pradesh Forest (Entertainment and Wildlife experience) Rule 2015", excluding forest area notified as Sanctuary or National Park under Wildlife (Conservation) Act, 1972. To promote participation of private sector in this area, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation and the concerned undertakings of the Forest Department shall launch appropriate efforts jointly by devising a transparent procedure.

10.2 Barring the notified area referred to in clause 10.1, Department of Tourism shall be competent to evolve and formulate activities related to Eco Adventure Tourism in other potential areas for the purpose. Activities to be operationalised on any location shall be determined according to local need and potential. In this regard activities such as Camping, Trekking, Angling, Water Sport, Elephant Safari, Cycle Safari, Riding trail, Photo safari, Canoeing Safari, White Water rafting, Rock climbing/Mountaineering, Para-Sailing/Para gliding, Hot air ballooning etc. may be included.

10.3 To attract private investment in Eco-Adventure Tourism, Tourism Department can offer land on lease or license.

10.4 Procedure to offer the land on lease shall be followed in accordance with clause 9 of this policy.

10.5 Land can be given on License also, if construction of permanent nature and massive scale is not required on the land.

10.6 In general land shall be transferred to Tourism Department prior to giving it on License. However, when it is not possible to do so, license can still be given after obtaining the consent of the department in which ownership of such land vests with such conditions that may be imposed by the department.

10.7 In order to give land on license, period of license, conditions, fee shall be determined by the Empowered Committee under the Chairmanship of Chief Secretary constituted under this Policy. In general, period of License granted will not be less than 5 years and more than 15 years.

10.8 License can be given to more than one applicants on the same location for more than one activities.

10.9 For procedure to be adopted while granting license related to Eco-Adventure Tourism, detailed guidelines shall be issued by the Tourism Department.

11. Film Tourism

11.1 Film producers face various difficulties in co-ordinating with different departments while asking permission for local level shooting. Tourism Department shall co-ordinate with these departments to obtain the legal mandatory permissions needed for film producers. This service can be extended to the concerned producer company on best effort basis. In this regard General Administration Department shall issue the order to authorise the Tourism department for taking necessary steps.

11.2 Capital Investment subsidy shall be available for capital expenditure on creating infrastructure of permanent nature and installation of equipment for film studio and film production.

11.3 To project and establish, Madhya Pradesh as an ideal shooting destination, an exhaustive publicity campaign shall be taken up.

12. Constitution of State/ District Tourism Promotion Council

12.1 The State Tourism Promotion Council shall be established at the State Level. This Council under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, shall be constituted with nominated stakeholders in tourism sector. The constitution of council, functioning, determination of membership etc. shall be notified separately.

12.2 Play a crucial role of public representatives and officers in attracting private investors and managing destinations at local level. In various parts of state, cultural and tourism centric, events are organized at local levels. Therefore, at each district level, District Tourism Promotion Council (DTPC) shall be constituted. The Tourism Department shall issue detailed guidelines to elaborate the activities of this council, its powers and structure etc.

13. Water Tourism

13.1 Tourism Department shall have the authority to undertake tourism activities in the water bodies under the jurisdiction of Narmada Valley Development Authority, Water Resources Department and the State Government.

13.2 Tourism Department shall get land available in these water areas as river bank or as island transferred from concerned departments, to allot in favour of private investors as per provisions of the policy.

13.3 Keeping in mind, the carrying capacity of these water bodies, license to private investors for house boats, cruise, motor boat and water sports activities, may be given. Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall be authorized to grant such licenses. For determination of carrying capacity, licensing procedure, conditions and fee, Empowered Committee under chairmanship of Chief Secretary constituted under the policy shall be competent.

13.4 Tourism Department shall take necessary steps for comprehensive tourism planning and infrastructural development of such area suitable for water tourism.

14. Sustainable Tourism

The development and management of tourism destinations should be done in such a manner that effective conservation of environment, natural resources, local traditions, culture and products is taken care of. Department of Tourism shall undertake necessary studies to identify such tourism activities which adversely impact sustainability and wherever necessary, will take required steps to regulate/stop them.

Further steps will be taken to encourage those activities having a positive impact. To ensure community participation, effective strategy of IEC (Information, Education and Communication) shall be used at local level. State Tourism Promotion Council shall play a crucial role in ensuring joint participation of all the departments and stakeholders in this endeavour.

15 Employment oriented skill development, education and training for youth

15.1 Youth shall be educated and trained in trades relevant to the tourism industry, through State Institute of Hospitality Management (SIHM), Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training (MPIHT) and Food Craft Institute (FCI) to ensure employment oriented skill development education in the tourism sector.

15.2 Youth shall be trained through continuous programme of skill development under skill development schemes of Government of India.

15.3 After assessing the training needs of tourism Industry of the State, suitable courses in the area of hospitality, adventure tourism, catering and food craft shall be designed and supported financially.

15.4 Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training shall collaborate with national level universities for organizing certificate and diploma courses. Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training shall be developed as an institute of excellence in the field of hospitality training and certification.

15.5 Selection of tourist guides, training and certification shall also be performed by MPIHT.

16. Investor Facilitation

16.1 Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall function as the nodal agency for all actions under this policy.

16.2 For Investment Promotion in Tourism, Corporation shall work in coordination with MPTRIFAC (Madhya Pradesh Trade & Investment Facilitation Corporation).

16.3 At district level, for implementation of Investment promotion activities, for granting of permissions / registration / no objections / licenses at local level to Investor for establishment of Tourism Projects, General Manager, District Trade and Industries Centre (GM DTIC) shall be nominated as the point of contact. GM DTIC is the Secretary of District Level Empowered Committee constituted under "M.P. Investment Facilitation Act, 2008".

16.4 The General Manager shall get resolved all such Investment related proposals in tourism sector through the committee constituted under chairmanship of District Collector as above. District Trade and Industries Centre shall get adequate support from Tourism Department/Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation in this endevour.

17. Development of Way Side Amenities

Through proper planning, high quality tourist facilities shall be developed on National/ State highway and other major roads at approximately every 40-50 km distance under "Wayside Amenities Establishment and Operation Policy, 2016" issued by Tourism Department.

18. Facilities to Tourism Sector similar to Industries

Projects detailed in clause 5 of the policy, shall be given facilities similar to Industries as below:

18.1 Efforts will be made to make power available to Tourism Projets at industiral tariff.

18.2 Tourism Projects for their establishment will be allotted the land reserved for the purpose of amenities in the Industrial areas/Industrial Parks/Industrial city/IT Parks developed by Commerce & Industries Department, Micro, Small and Medium Enterprise Department, Science & Technology Department of State, as a service sector unit at the rate under departmental policy.

18.3 On diversion of land under M.P. Land Revenue code for Tourism projects, diversion fee shall be charged as per industrial rate.

18.4 For Tourism Projects, Water Resource department shall allow the consumption of water from its sources on industrial rate.

18.5 Local bodies shall charge property tax/development charge on building constructed for Tourism Project as per industrial rate.

19. Special Efforts for Comprehensive Tourism Development

19.1 All efforts will be made to access national as well international tourist markets for marketing, branding, advertising of Tourism Products of Madhya Pradesh.

19.2 In order to develop and encourage new tourism products, support of voluntary/ commercial organizations and experts will be solicited.

19.3 All modes of communication including digital and social media platforms shall be used for marketing, advertising, branding of tourism products.

19.4 Successful entrepreneurs in tourism sector shall be encouraged and their expertise used to benefit the state.

19.5 Private transport operators shall be linked to tourism areas and encouraged to provide quality transport services.

19.6 Local bodies specially Municipal Corporations and Municipalities will be encouraged to support conservation of heritage assets and other places of tourist importance alongwith establishment of quality public amenities. Required support to them will be extended.

19.7 For domestic and foreign tourists, pre-planned tourist packages (fixed tours) shall be developed and marketed.

19.8 For complete and balanced development of existing tourism area/new areas with tourism potential, masterplans shall be developed.

19.9 To induce awareness and attraction in the new generation various activities will be carried out in schools/colleges and outstanding students will be suitably encouraged.

19.10 An entrepreneur with intent to invest in tourism shall be given full support in establishment of his/her Tourism Project by way of development of infrastructure required there upon.

19.11 To honour and encourage excellence in tourism, "Madhya Pradesh State Tourism Awards" shall be given in various categories.

20. Implementation of Tourism Policy

In order to make available required facilities/rebate/license etc. to tourism projects concerned departments shall issue necessary guidelines, notifications or amend the rules. In this context, if difference of opinion arises or difficulties emerge, then matters including clarifications/explanations/disputes shall be placed before the Empowered Committee comprising of following members under the Chairmanship of Chief Secretary for resolution:-

- Principal Secretary, Finance
- Principal Secretary, Tourism
- Principal Secretary, Forest
- Principal Secretary, Culture
- In-charge Secretary of department related with the case
- Managing Director, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall be the Member Secretary.

Committee may take decision in accordance with the prevailing policy and the decision thus taken shall be final and binding on all concerned and its compliance shall be mandatory for the concerned department. Committee shall discharge all the responsibilities mandated under this policy.

21. Repeal

21.1 From the date of enforcement of this new policy, "Tourism Policy 2010 (as amended 2014)" shall stand repealed. However during the currency of previous policy, units eligible for various subsidies and facilities in that period under the provisions of then prevailing policy, will be eligible to the claims in the same manner as they would normally do.

21.2 From the date of enforcement of new policy, disposal of Government land allotted to Tourism Department for Tourism Development in Madhya Pradesh through auction Policy - 2008 (As amended 2014) shall stand repealed.

Annexure - 1

Procedure for disposal of Government land allotted to Tourism Department through auction

Disposal of land/heritage assets situated in Nazul/Non Nazul / Rural area allotted to Tourism Department for fulfillment of objectives mentioned in Tourism policy and for tourism development, shall be made through auction under following procedure:

1. For fulfillment of objectives mentioned in the prevailing Tourism policy in State, and for tourism development, competent authority shall allot and transfer free of cost government land/heritage assets to Tourism Department.

1.1 For disposal of such allotted and transferred land and heritage assets, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation (that shall be called Corporation hereon) an undertaking of Tourism department, shall be the Process Manager. Corporation as a Process Manager shall perform activities such as sclection of commercial consultants, preparation of detailed project report, inviting Expression of Interest, conduct of auction in transparent manner etc. Process Manager shall prepare documents such as Request for Proposal (RFP), Expression of Interest also as per need. Corporation shall discharge the above responsibilities in the following manner:

1.1.1 Corporation is authorised for identification, demarcation of transferred land/ heritage properties to Tourism Department and to prepare requisite documents in this regard. The corporation shall obtain desired information from the District Collector to prepare such documents.

1.1.2 After confirmation of ownership entry in revenue record for transferred land in favour of tourism department, Corporation shall prepare information regarding demarcation, land use, possession etc. and shall submit requisite report to tourism department for administrative approval for disposal of the land.

1.1.3 Corporation shall select commercial consultant as per the need and with the help of the Consultant Corporation shall prepare detailed Project Report, Tender document and conditions, Invitation for Expression of Interest etc. for development of tourism related activities/projects on the said land.

1.1.4 In documents prepared as above, if required Corporation can also recommend the activities which must be carried out by the successful bidder within an year from the date of getting possession of land. Required permissions, no objections etc. have to be obtained by the Investor for implementation of the Project.

1.2 Reserve price, premium and Lease Rent:

1.2.1 Reserve price shall be calculated as Rs.10 lac per hectare for areas within the municipal limits and plan areas.

1.2.2 For disposal of buildings of Heritage importance and appurtenant land, reserve price shall be Rs.1 lac. Identification and selection of heritage building and appurtenant land for disposal shall be decided by the Empowered Committee under the Chairmanship of Chief Secretary constituted under this Policy.

1.2.3 Excluding land referred to in clause 1.2.1, calculation of reserve price for land in remaining other places shall be Rs.5 lac per hectare.

1.2.4 Disposal of building and land associated with wayside amenities shall be dealt with as per the provisions of "Wayside Amenities establishment and management Policy 2016".

1.2.5 Lease rent for said land shall be 1% annually of accepted premium for allotment.

1.2.6 Lease rent on land, between the date of execution of lease deed and first 31st March there on shall be payable as first annual lease rent. Subsequently, for coming financial year, from 1st April Lease rent shall be payable for full financial year.

2. On obtaining permission from Tourism Department for the disposal of said land/heritage assets, Managing Director of the Corporation shall advertise notice inviting Expression of Interest/Tender. Time period for submission of proposal towards Expression of Interest/Tender shall be minimum 30 days. This process shall be carried out as given below:

2.1 Notice Inviting tender/Expression of Interest/auction of heritage properties shall be published as per need in State/National level newspaper by the Corporation. For the sake of wide publicity publication of notice may be repeated. With other reliable methods it shall be extensively publicized that land is to be offered through auction only. Notice should go in public domain through website of the Corporation too.

Tender notice will be issued in prescribed format. Managing Director Madhya Pradesh Tourism Development Corporation may make necessary changes as per need and suitability of project.

2.2 Scrutiny of Tenders/Proposals received:

2.2.1 Scrutiny of technical eligibility of proposals received under Expression of Interest or Inviting tender shall be carried out by the Scrutiny Committee constituted as below:

1. Director Tourism Promotion unit
2. General Manager (Finance)
3. Chartered Accountant of the Corporation
4. Commercial Consultant (if any)

2.2.2 After evaluating the technical bid, financial evaluation of eligible tenderers' financial bid shall be carried out by the Committee as constituted below:

1. Managing Director, (Addl. M.D./E.D. nominated by M.D.) - Chairman
2. Accounts Officer, Office of Tourism Commissioner - Member
3. Chartered Accountant of Corporation - Member
4. Commercial Consultant (if any) - Member
5. Director Tourism Promotion unit - Member Secretary

2.3 To scrutinize the proposals obtained on the basis of Expression of Interest (EOI), Committee mentioned above shall determine the yardstick for pre-condition/ eligibility criterion, after having sought opinion of commercial consultant (if needed) specially appointed for this project. On the basis of such yardstick, proposal obtained against Expression of Interest shall be scrutinized and calling of financial bid from among the eligible participants, shall be initiated. To eligible applicants after the scrutiny, request for proposal document shall be sent.

Proposals shall be obtained from these eligible applicants under limited competition among them.

2.4 Financial proposals obtained through EOI or Invitation of open tender shall be analysed by the "Evaluation Committee" said above, and shall submit the financial proposal under consideration with their recommendation to administrative department for decision.

2.5 Tourism Department shall within 45 days from the receipt of the financial proposal of "Evaluation Committee", take the decision to approve or disapprove the financial proposal, and communicate to Corporation the decision. If the decision is not made within 45 days, highest bidder shall have the right to quit the tender and take back his earnest money.

2.6 After receiving the administrative approval for the financial proposal, earnest money of other bidders except the highest bidder shall be refunded immediately.

2.7 After getting the intimation about sanction of the proposal by the State, Corporation shall inform the successful bidder. Highest bidder shall have to deposit the payable amount after adjusting the earnest money within 90 days from the date of receipt of intimation. In case of non-payment within 90 days, an extension of 3 months with interest @ 12% may be given in the interest of justice.

2.8 If remaining amount is not deposited within stipulated time, a special permission for 1 month on justified reasons as a last chance may be given to deposit the amount. If the amount is not deposited in this extended time limit, allotment shall be cancelled with forfeiture of earnest money and land shall be re-auctioned. In such event, such bidder shall not be allowed to bid in re-auction as an individual, in partnership or in consortium.

2.9 For identified Government land/land on which assets are created and are transferred or would be transferred, final decision to lease out for 90/30 year or to develop through development agreement shall be taken by the department.

2.10 Tender amount and annual lease rent receivable against the leased land shall be retained separately by the Corporation in the head "Disposal of Government land and Infrastructure Development". Corporation may spend this money for survey of land, transfer, power / water supply, Road/ area planning, area development, security of assets and other infrastructural development as per guidelines issued by the Tourism Department.

2.11 From successful bidders, performance bank guarantee equivalent to 10% of project cost shall be obtained and shall be returned, after successful operation of project for 3 years.

2.12 After the deposit of all receivables, lease deed in favour of highest bidder shall be executed which shall be registered under Indian Stamp Act at bidder's cost within 90 days. On submission of certified true copy of the deed, Corporation shall handover the possession of land to successful bidder.

2.13 State Government holds right to approve or disapprove any proposal without assigning any reason. In this regard decision of State Government shall be final and binding on all bidders.

2.14 Corporation shall specifically mention in Expression of Interest/tender document the period for completion of the project. Within a year from the date of possession, successful bidder has to start the work after obtaining mandatory required permissions / no objections. In case of non completion of project in stipulated time, considering the effective steps taken and justified reason, an extension of one year may be granted for two times on submission of the application by the bidder. On non completion of work even after expiry of such extended time period, lease deed may cancelled alongwith forfeiture of all deposited amount and bank guarantee may be revoked.

2.15 To execute lease deed, Managing Director, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall be authorized as representative of Tourism Department.

2.16 In general, tender earnest money shall be equivalent to 10% of the reserve price subject to maximum of Rs.20 lac. Managing Director is authorized to determine the earnest money in special cases.

2.17 For amendment in lease deed under prevailing policy, Empowered Committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary is authorized.

Note: For any clarification notified hindi version of this policy shall be refered.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF TOURISM